

31.51.52
47.59
K. S. S. S.

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

खातालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाह्य
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प सगाड

-आदेश:-

ग्राहक के खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भूअ.नि.
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बाह्य नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील बाह्य जिला बाह्य
की समावन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का
नेमलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
①	राजीसर, सगाड विशानपुरा	15,18,08	स्वाता पुत्र उत्तमा	स्वातासिंह पुत्र उत्तमसिंह
②	राजीसर, सगाड विशानपुरा	15,18,08	गोपा पुत्र उत्तमा	गोपासिंह पुत्र उत्तमसिंह
③	"	15,18,08	वरजू बेना उत्तमा	वरजू कंवर/0 उत्तमसिंह
④	सगाड, मोजपुरा	497, 507 28, 28	शिवा पुत्र राऊ	शिवगुमार पुत्र राऊराम
⑤	श्रीधरपुरा जीम्बली	814	धातू पुत्री नसीर	भागीं पुत्री नसीर



[Signature]
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,

रमाक :-

प्रति लिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

[Signature]
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,